



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062026-273829
CG-DL-E-25062026-273829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]
No.465]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2026

सा.का.नि. 516(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 की15) की धारा 24 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकेगा।
(2) ये 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।

- पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची IV के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

‘अनुसूची IV

(नियम 8 देखें)

पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ आवेदनों के संबंध में

देय शुल्क की अनुसूची

क्रम
संख्या

आवेदन का विवरण

शुल्क का प्रकार

सामान्य शुल्क

तत्काल शुल्क (सामान्य शुल्क के साथ)

(1)	(2)	भारत रु. (3)	विदेश \$ (4)	भारत रु. (5)	विदेश \$ (6)
-----	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

I. पासपोर्ट—

(क) आवेदक (18 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के आवेदक / 15 से 18 वर्ष के नाबालिग, अगर इस श्रेणी के तहत आवेदन किया गया हो)

1.	साधारण 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुनः जारी होने के लिए	2500	125	5000	250
2.	साधारण 60 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुनः जारी होने के लिए	3500	175	6000	300
3.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं	5000	250	7500	375
4.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 60 पृष्ठ होते हैं	6000	300	8500	425

(ख) नाबालिग आवेदक (18 वर्ष से कम आयु के) :

5.	साधारण 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट के पुनः जारी होने के लिए	1750	90	4250	215
6.	खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में जारी किए जाने वाले साधारण पासपोर्ट के लिए, जिसमें 36 पृष्ठ होते हैं	4250	215	6750	340

II. विशेष यात्रा दस्तावेज—

7.	आपातकालीन प्रमाणपत्र	लागू नहीं	15	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	पहचान प्रमाणपत्र	1000	50	लागू नहीं	लागू नहीं

III. विविध सेवाएँ—

9.	पासपोर्ट के आधार पर पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र, सरेंडर प्रमाणपत्र, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन या अन्य विविध प्रमाणपत्र जारी करना।	750	40	लागू नहीं	लागू नहीं
----	---	-----	----	-----------	-----------

टिप्पणी:

- “एन ए” का अर्थ है “लागू नहीं”।
- क्रमांक I(क) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, और क्रमांक I(ख) के तहत जारी पासपोर्ट की वैधता पांच वर्ष या आवेदक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।
- 8 वर्ष तक की आयु के नाबालिगों और वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों) के लिए नए आवेदनों (पुनः जारी करने के लिए नहीं) पर पासपोर्ट शुल्क में दस प्रतिशत की छूट होगी।

[फा. सं. 401/01/20/2025]

बी.एस. मुबारक, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

नोट. — पासपोर्ट नियम, 1980 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 691(ई), दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 156 (ई), दिनांक 24 फरवरी, 2025 के माध्यम से इसे संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2026

G.S.R. 516(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967(15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2026.
2. For Schedule IV to the Passports Rules, 1980, the following Schedule shall be substituted, namely:—

‘SCHEDULE IV

(See rule 8)

Schedule of fees payable in respect of applications for
passport and travel documents

Sl. No.	Particulars of application	Scale of fees			
		Normal Fee		Tatkaal fee (inclusive of normal fee)	
		India	Abroad	India	Abroad
		Rs.	\$	Rs.	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. PASSPORT—					
(a) Applicants (18 years of age and above / Minors aged between 15 to 18 years, if applied under this category) :					
1.	For an ordinary fresh passport or reissue of passport containing 36 pages	2500	125	5000	250
2.	For an ordinary fresh passport or reissue of passport containing 60 pages	3500	175	6000	300
3.	For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages	5000	250	7500	375
4.	For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages	6000	300	8500	425
(b) Minor Applicants (below 18 years of age) :					
5.	For an ordinary fresh passport or reissue of passport containing 36 pages	1750	90	4250	215
6.	For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages	4250	215	6750	340
II. SPECIAL TRAVEL DOCUMENT—					
7.	Emergency Certificate	NA	15	NA	NA
8.	Certificate of Identity	1000	50	NA	NA
III. MISCELLANEOUS SERVICES—					
9.	Issue of Police Clearance Certificate or Surrender Certificate or Global Entry Program verification or any other Miscellaneous certificates based on the passport	750	40	NA	NA

Note:

1. “NA” means “not applicable”.
2. The validity of passports issued under serial number I(a) shall not exceed ten years, and the validity of passports issued under serial number I(b) shall be for five years or until the applicant attains the age of 18 years, whichever is earlier.

3. There shall be a discount of ten per cent. in passport fee for fresh applications (and not for re-issue) in respect of minors up to the age of 8 years and senior citizens (persons above the age of 60 years).

[F. No. 401/01/20/2025]

B.S. MUBARAK, Jt. Secy. and Chief Passport Officer

Note.— The Passport Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980 and last amended vide notification number G.S.R. 156 (E), dated the 24th February, 2025.